

उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग - 2

संख्या-क० नि०-2-1141/ ग्यारह-9(47)/17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश-(37)-2017

लखनऊ: दिनांक: 17 अगस्त, 2017

अधिसूचना

उत्तरप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से अधिसूचना संख्या-क०नि०-2-865/ग्यारह-9(47)/17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश-(26), दिनांक 02 जुलाई, 2017 द्वारा यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-क०नि०-2-836/ग्यारह-9(47)/17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश-(06)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची तीन-9% में, क्रम संख्या 452 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां बढा दी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"452क	4011 70 00	ट्रैक्टर के लिए टायर
452ख	4013 90 49	ट्रैक्टर के टायर के लिए ट्यूब
452ग	8408 20 20	ट्रैक्टर के लिए 250 सी०सी० से अधिक सिलिन्डर क्षमता के कृषि डीजल इंजन
452घ	8313 81 90	ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पम्पस
452ङ.	8708 10 10	ट्रैक्टर के लिए बम्पर एवं उनके कलपुर्जे
452च	8708 30 00	ट्रैक्टर के लिए ब्रेक असेम्बली एवं उनके कलपुर्जे
452छ	8708 40 00	ट्रैक्टर के लिए गियर बाक्स एवं उनके कलपुर्जे
452ज	8708 50 00	ट्रैक्टर के लिए ट्रांसएक्सल एवं उनके कलपुर्जे
452झ	8708 70 00	ट्रैक्टर के लिए रोड व्हील्स एवं उनके कलपुर्जे और एसेसरीज
452ञ	8708 91 00	ट्रैक्टर के लिए रेडिएटर एसेम्बली एवं उनके कलपुर्जे
452ट	8708 92 00	(i) ट्रैक्टर इंजन के लिए कूलिंग सिस्टम एवं उनके कलपुर्जे (ii) ट्रैक्टर के लिए साइलेंसर एसेम्बली एवं उनके कलपुर्जे
452ठ	8708 93 00	ट्रैक्टर के लिए क्लच एसेम्बली एवं उसके कलपुर्जे
452ड	8708 94 00	ट्रैक्टर के लिए स्ट्रीलिंग व्हील्स एवं उसके कलपुर्जे
452ढ	8708 99 00	ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक एवं उसके कलपुर्जे
452ण	8708 99 00	ट्रैक्टर के लिए फेंडर, हुड, रेपर, ग्रिल, साइड पैनल, एक्सटेंशन प्लेटस, ईंधन टैंक एवं उसके कलपुर्जे "

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

